

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1598/2010/डूंगरपुर

मैसर्स राज पेट्रो स्पेशियलिटीस
सिलवासा

अपीलाथी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
चैक पोस्ट रतनपुर जिला डूंगरपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित

श्री पी.डी.जावरिया

अभिभाषक

श्री डी.पी.ओझा

उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक: 10.03.2017

अपलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 169/आरवैट/एनआरडी/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 12.08.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, चैक-पोस्ट रतनपुर, जिला-डूंगरपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 (6) के अन्तर्गत कर रू. 30,838/- एवं शास्ति रू. 2,31,285/- आरोपित करते हुए कुल रू. 2,62,123/- की मांग सृजित की है, को यथावत रखा है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी ने चैक पोस्ट रतनपुर जिला डूंगरपुर पर वाहन संख्या एम एच 04-एएल-2250 को दिनांक 19.12.2007 को चेक करने पर उसमें लदे माल ट्रांसफार्मर ऑयल से सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक ने मैसर्स संजय रोड लाईन्स, मुम्बई की बिल्टी एवं मैसर्स राज पेट्रो स्पेशियलिटीस प्रा.लि., मधुवन रोड लाईन्स, सिलवासा का बिल एवं मैसर्स प्रकाश ट्रांसफार्मर एवं स्विच गियर्स प्रा.लि. कोटा का वैट-47 संख्या 2156194 दो प्रतियों प्रस्तुत किया। उक्त दस्तावेजों की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि वैट-47 की महत्वपूर्ण प्रविष्टियां में कांटछांट की हई है, जिसे कूटरचित मानते हुए वाहन को डिटेन किया गया तथा वाहन चालक/माल प्रभारी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रेषक कम्पनी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने पक्षकार बनने का निवेदन किया गया, जिसे स्वीकार कर अधिनियम की धारा 76 (2) सपठित नियम 53 का उल्लंघन मानते हुए धारा 76 (6) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर को सन्तोषजनक नहीं मानते धारा 76 (6) के अन्तर्गत माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रू. 2,31,285/- की शास्ति एवं उस पर 4 प्रतिशत की दर से वैट रू. 30,838/- आरोपित करते हुए कुल

रु. 2,62,123/-की मांग सृजित कर आदेश दिनांक 27.12.2007 पारित किया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपील अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति एवं कर को यथावत रखा गया है। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.08.2009 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार किये बिना ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखा गया है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर को यथावत रखा है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश में प्रकरण के तथ्यों का बिना विश्लेषण किये ही कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की है, जो न्यायिक दृष्ट से उचित नहीं है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच प्रस्तुत किये गये वैट-47 के महत्वपूर्ण समस्त कॉलम में कांट छांट की गई, जिसके अवलोकन के पश्चात ही अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति एवं कर की पुष्टि की है, जो पूर्णतः उचित एवं विधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया गया। वक्त जांच प्रस्तुत किये गये वैट-47 के महत्वपूर्ण समस्त कॉलम में कांट छांट की गई, जिसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है जिसमें उन्होंने निष्कर्ष दिया कि "संलग्न घोषणा पत्र वैट-47 के समस्त महत्वपूर्ण कॉलम में तथ्यों की कांट छांट किया जाना अभियोग पत्रावली के पृष्ठ 11 पर उपलब्ध प्रपत्र वैट-47 से स्पष्टतया प्रमाणित है" उक्त निष्कर्ष से स्पष्ट होता है कि अपीलीय अधिकारी ने रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं शास्ति की पुष्टि की है, जिसमें यह पीठ हस्तक्षेप करने का औचित्य नहीं समझती है।

इस सम्बन्ध में राजस्थान कर बोर्ड द्वारा मैसर्स जयपुर उद्योग, जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचन-प्रथम, बांसवाडा अपील संख्या 1893/2012/जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 03.08.2015 में निर्णित किया है कि

सफेदा लगाकर पूर्व में अंकित विवरण मिटाकर दूसरा विवरण अंकित करने के मामले में दोषी मनोभाव स्पष्ट होने से आरोपित शास्ति को यथावत रखा है। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी जो (2007) 9 वी एस टी-1(एससी),(2007) 293 आई टी आर 584(एससी) एवं 7 सी सी सी 269 में प्रकाशित है, में निम्न मत प्रतिपादित किया है:-

"mensrea is not essential. such overwritings and cuttings in declaration form, in all columns would certainly fall in the category of forged, fabricated or false declaration form and therefore, in any view, the assessing officer was correct in levying the penalty and the Deputy Commissioner(Appeals) as well as the Tax Board were unjustified in deleting the same, therefore, the order of the Tax Board is quashed and set aside and order of the assessing officer is restored"

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित मत के अनुसार घोषणा पत्र में की गई कांटछांट या सफेदा लगाकर उसमें अंकित विवरण को मिटाने को सही नहीं मानकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को पुर्नस्थापित किया गया है। उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में हस्तगत प्रकरण में वक्त चेकिंग प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्र वैट-47 में कांट छांट कर पूर्व में अंकित विवरण को मिटाकर नया विवरण अंकित किया गया है, जो दोषी मनोभाव को प्रमाणित करता है। अतः हस्तगत प्रकरण उक्त प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों से आच्छादित (कवर्ड) होने से अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील को अस्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.08.2009 की पुष्टि की जाकर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(श्री मदन लाल मालवीय)
सदस्य